

# निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र० तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

पत्रांक-सी. 1035/बा०वि०परि०/अनु०-93/2017-18

दिनांक 11 जुलाई, 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश।


विषय:- आई०सी०डी०एस० योजना के कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समितियों की बैठक के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1198/60-2-11-2/1(60)10, दिनांक 07 जून 2011 जोकि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं आपको पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों- जिला, ब्लाक एवं आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए समितियाँ गठित की गयी हैं।

उक्त के क्रम में निदेशालय के विभिन्न पत्रों, पत्रांक सी०-1116/बा०वि०परि०/अनु०-93/2015-16 दिनांक 26 अक्टूबर 2015, पत्रांक-सी०-1424 दिनांक 16 दिसम्बर 2015, पत्रांक सी०- 1996 दिनांक: 22 फरवारी 2016, पत्रांक- सी०-211 दिनांक 04 मई 2016, पत्रांक-सी०-1983 दिनांक 02 नवम्बर 2016 एवं पत्रांक सी- 2324/बा०वि०परि०/अनु०-2016-17 दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय एवं आंगनवाड़ी स्तरीय गठित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समितियों की बैठकें निर्धारित समयवधि में अवश्य करायी जाय तथा जनपद स्तरीय बैठक की कार्यवृत्त निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।

यह अत्यंत खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा नियमित रूप से जनपद स्तरीय बैठक की कार्यवृत्त प्रेषित नहीं की जा रही है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विगत माहों में जनपद स्तरीय बैठकों की रिपोर्ट एवं आवश्यक कार्यवाहियों की सूचना दिनांक 15.07.2017 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये ताकि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

  
(आर०एन०एस० यादव)  
अपर निदेशक(प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- 1. विशेष सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र० शासन।  
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

  
(आर०एन०एस० यादव)  
अपर निदेशक(प्रशासन)